

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 13/2018 (223 आरटीए) धोकलराम बनाम मंगलाराम वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2018/00004)

धोकलराम पुत्र श्री जस्साराम जाति जाट निवासी ग्राम मालावास, तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुरं

..... अपीलांत

बनाम

- 1 छोगाराम पुत्र श्री जस्साराम
- 2 मंगलाराम पुत्र श्री रामसुख,
- 3 हीराराम पुत्र श्री रामसुख,
- 4 तेजाराम पुत्र श्री रामसुख,
- 5 भंवरलाल पुत्र श्री रामसुख,
- 6 चिमनाराम पुत्र श्री जस्साराम

जातियान जाट निवासीगण ग्राम मालावास, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

..... रेस्सपोडेंटस्

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी

दिनांक 29.12.2017 अंतर्गत राजस्व वाद सं. 178/2013

उपस्थित :

- 1 अपीलांत की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी।
- 2 रेस्पो. सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित।
- 3 रेस्पो. सं. 2 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्नोई।
- 4 रेस्पो. सं. 7 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 11.10.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी के राजस्व वाद सं. 178/2013 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.12.2017 के विरुद्ध इस

न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पो. सं. 1 की ओर से राजस्व वाद सं. 178/2013 पेश किया कि राजस्व ग्राम मालावास, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर में स्थित वादी एवं प्रतिवादीगण के सहखातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा नं. 243 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा, खसरा सं. 245 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 246 रकबा 14 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं. 263 रकबा 37 बीघा, खसरा नं. 276 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं. 292 रकबा 22 बीघा, खसरा नं. 401 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 542 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 543 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं. 544 रकबा 14 बीघा 3 बिस्वा भूमि का बंटवाड़ा, घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद स्वीकार किया जावे। वाद प्रस्तुत करने के बाद न्यायालय द्वारा अपीलांत के सम्मन विधिवत तामील कराए बिना ही एक तरफा अंतिम डिक्री व निर्णय पारित कर दिया गया है। अतः अपीलांत ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.12.2007 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।
3. उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पो. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
4. अपीलांत की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को बिना सुनवाई एवं नोटिस दिए बिना उनकी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की उपजाउ भूमि को रेस्पो. सं. 1 के पक्ष में डिक्री पारित करने में विधिक भूल की है। प्राकृतिक न्याय का यह सामान्य सिद्धांत है कि किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाला कोई आदेश उस व्यक्ति को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जा सकता। दिनांक 24.12.2013 को अपीलांत के विरुद्ध बिना किसी आधार के तामील मानकर एकतरफा कार्यवाही का आदेश दिया गया है जो गैर कानूनी एवं गलत है। इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है तदनुसार अपील स्वीकार कर अपीलांत को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः विधिवत निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

- 5 रेस्पो. सं. 2 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्नोई ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री विधि अनुसार एवं पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार मौका रिपोर्ट के आधार पर पारित की गई है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं हैं। अपीलांट धोकलराम के पुत्र को सम्मन तामील विधिवत कराया जा चुका था उसके बावजूद उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही विधिक प्रक्रिया के तहत की गई है। मौका रिपोर्ट पर शेष पक्षकारान के हस्ताक्षर हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी अपीलांट ने विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति पेश नहीं की। अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व प्रकरण में उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई व हर स्तर पर सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए अंतिम डिक्री जारी की गई है जिसको निरस्त करना न्यायोचित नहीं हैं। अतः अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।
- 6 रेस्पो. सं. 7 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि इस प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं हैं अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों के अनुसार गुणावगुण पर उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।
- 7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।
- 8 प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति यह है कि प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पर कोई आपत्ति नहीं हैं केवल अंतिम निर्णय व डिक्री के विरुद्ध अपील की गई है जिसमें अपीलांट का कथन है कि उसकी प्रोपर तामील के बिना ही एक पक्षीय कार्यवाही विधिविरुद्ध की गई है व उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। इस संबंध में अपीलांट को जारी नोटिस का अवलोकन किया गया। अपीलांट को विधिवत तामील पुत्र से होना पाया जाता है अतः यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं हैं। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट की यह आपत्ति है कि उसके कब्जे की भूमि को रेस्पो. सं. 1 को दे दिया है। अपीलांट की आपत्ति के मध्य नजर विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। जिसमें सभी खसरो को सैद्धांतिक रूप से चार-चार भागों में विभाजित कर दिया है। प्रतिवादी सं. 5/अपीलांट धोकलराम ने इस विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति भी की है लेकिन इस आपत्ति को अधीनस्थ न्यायालय ने निस्तारण नहीं किया है। विभाजन प्रस्ताव पर अंकित आपत्ति को निस्तारण किए बिना पारित अंतिम डिक्री विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण पाई जाती है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री में वादग्रस्त आराजी को बाई मिट्स एण्ड



24/11/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
लखनऊ

बाउण्ड्स के आधार पर करने का निर्णय पारित किया गया है जिसका अर्थ यह नहीं है कि केवल सैद्धांतिक रूप से सभी खसरों को बराबर-बराबर चार-चार टुकड़ों में विभाजित कर दिया जावे। बल्कि विभाजन के प्रस्ताव तैयार करने के लिए राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 में धारा 53 के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए बनाए गए नियमों के अनुसार ही विभाजन प्रस्ताव तैयार होने चाहिए। उक्त नियमों के अनुसार सक्षम न्यायालय की वाद में दी गई डिक्री द्वारा जोत विभाजन के नियम निम्नानुसार हैं :-

20. नियम 19 में उपबंधित नियमों को छोड़कर एक सक्षम न्यायालय द्वारा किसी एक या अधिक सह अभिधारी द्वारा लाए गए वाद में जो जोत के विभाजन और उसके लगान को कई भागों पर जिनमें वह बांटी गई है, वितरण करने के प्रयोजन से लाया गया हो, डिक्री या आदेश द्वारा जोत का विभाजन करने में निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जावेगा-

(क) प्रत्येक पक्षकार को आवंटित भाग का मूल्यांकन उस जोत में उसके हिस्से (शेयर) से आनुपातिक होगा। (ख) प्रत्येक पक्षकार को आवंटित भाग यथा संभव एक साथ (कॉम्पैक्ट) होगा। (ग) जहां तक संभव हो, किसी पक्षकार को सारी हल्की या सारी उत्तम कोटि की भूमि नहीं दी जाएगी। (घ) जहां तक संभव हो, विद्यमान खेतों के टुकड़े नहीं किए जाएंगे। (ङ) भूखण्ड जो किसी अभिधारी के अलग कब्जे में हैं, यथा संभव, उनको उस अभिधारी को आवंटित किया जायेगा, यदि वे उसके हिस्से से अधिक नहीं हो।

21. नक्शा बनाना और उपविभाजित खेतों को चिन्हित करना - तहसीलदार नक्शा बनायेगा और उसे अभिलेख पर रखेगा, जिसमें प्रत्येक पक्षकार को दिया गया भूखण्ड अलग रंगों में दिखाया जावेगा और यदि किसी खेत का उप-विभाजन किया गया है, तो वह पक्षकारों के खर्चे पर उनके भाग को चिन्हित/अंकित करेगा।

इस प्रकरण में केवल सभी खसरों का सैद्धांतिक तरीके से चार-चार टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया है तथा इस प्रकार के विभाजन पर अपीलांट/प्रतिवादी धोकलराम सहमत भी नहीं हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया जाना पाया जाता है। विभाजन प्रस्ताव को देखने मात्र से राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 20 के उपनियम (ख), (घ) व (ङ) के प्रावधान पर नायब तहसीलदार ने कोई ध्यान दिया है। तथा इस प्रकार के

अपील सं. 13/2018 (223 आरटीए) धोकलराम बनाम मंगलाराम वगै.

नियमों के प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखते हुए प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित किए जाने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य पाए जाते हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किए जाने योग्य है एवं तदनुसार प्रकरण राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने एवं तदनुसार अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करने हेतु रिमाण्ड योग्य पाया जाता है।

- 9 अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.12.2017 निरस्त किए जाते हैं। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि संबंधित तहसीलदार से राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करावें उसके पश्चात प्राप्त विभाजन प्रस्तावों पर उभय पक्षकारान को सुना जाकर विधि अनुसार अंतिम निर्णय व डिक्री पुनः पारित की जावे।



Tejendra
11/10/18

(दाताराम)

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी

जोधपुर

- 10 निर्णय आज दिनांक 11.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Tejendra
11/10/18

(दाताराम)

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी

जोधपुर